

08.04.2024:—पत्रावली आज वादी बनवारी लाल जरिये अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पारिक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अब इस दावा को नहीं चलाना चाहती। वादपत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री मुदनलाल गोदारा द्वारा कि गई। पक्षकारान का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वादपत्र मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी